न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—269 / 2019

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

रफीक खान पुत्र लिछु खान
जाति मुसलमान, निवासी हरलाई
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

श्रीमान् तहसीलदार
ओसियां।

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक:— 30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 282/1 रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा ग्राम हरलाई तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश गिणे खां पि. लिछुखां दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि रफीक खान पुत्र लिछु खान के नाम से बने हुए हैं उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सदभाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड रहा है। [illegible] व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता [illegible] भूमि सुधार कार्य करने बैंक [illegible] का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवे[illegible] है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 282/1 रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गिणे खां दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम रफीक खान दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 282/1 रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा ग्राम हरलाई तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम गिणे खां पुत्र लिछु खां के स्थान पर रफीक खान पुत्र लिछु खां दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आज दिनांक 30-1... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner